न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 01/18
भगवान शंकर जी महाराज शिव मन्दिर बनाम संजय रस्तौगी आदि

दिनांकः 03.07.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 43/18
अर्चना बनाम संजीव
दिनांकः 01.07.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 31/15
महेश चन्द्र बनाम अब्दुल रहीम

दिनांकः 29.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 68/18
मोहम्मद इसराईल बनाम मोहम्मद इरफान
दिनांकः 04.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 120/15
बब्लू गुप्ता बनाम नगर पालिका
दिनांकः 15.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 66/18
परमजीत सिंह गुजराल बनाम श्रीमती बीना सिंह
दिनांकः 04.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 145/18
बाबूराम बनाम अशर्फी देवी
दिनांकः 04.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
निष्पादन वाद सं0 07/17
महेन्द्र कुमार बनाम लल्लू सिंह
दिनांकः 30.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रस्तुत निष्पादन वाद 830/12 में पारित निर्णय व डिक्री के निष्पादन हेतु संस्थित किया गया है। मूलवाद सं0 830/12 की पत्रावली आज नियत है जिसका अवलोकन किया। विदित होता है कि मूलवाद सं0 830/12 में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त कर मूलवाद सं0 830/12 अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित हो गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायलय का मत है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद निष्प्रभावी हो गया है। अतः निष्पादन वाद इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। निष्प्रभावी व पोषणीय न होने के कारण निष्पादन वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निष्पादन वाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
निष्पादन वाद सं0 15/19
राधेश्याम सक्सेना बनाम जावेद खां आदि
दिनांकः 03.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रस्तुत निष्पादन वाद 800/08 में पारित निर्णय व डिक्री के निष्पादन हेतु संस्थित किया गया है। मूलवाद सं0 800/08 की पत्रावली आज नियत है जिसका अवलोकन किया। विदित होता है कि मूलवाद सं0 800/08 में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त कर मूलवाद सं0 800/08 अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित हो गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायलय का मत है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद निष्प्रभावी हो गया है। अतः निष्पादन वाद इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। निष्प्रभावी व पोषणीय न होने के कारण निष्पादन वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निष्पादन वाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 02/19
इण्डियन फारमर्स फर्टिलाईजर को0लि0 बनाम भारतीय कि0यू0 आदि
दिनांकः 27.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 56/18
श्रीमती अशरफी देवी बनाम बाबूराम
दिनांकः 27.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदिका की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदिका उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 04/18
ओम प्रकाश अग्रवाल बनाम संजय कुमार अग्रवाल
दिनांकः 27.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 35/18
जीशान बनाम कय्यूम आदि
दिनांकः 27.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 126/14
अशरफ बनाम श्रीमती नजमा उर्फ नजमुल शहर
दिनांकः 26.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद

आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 28/06
कुसुम शर्मा बनाम बाबा ब्रजनन्दन दास
दिनांकः 24.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 783/14
राजकुमार बनाम पंकज कुमार
दिनांकः 24.04.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 781/04
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम आरिफ उल्ला खॉ
दिनांकः 27.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 33/16
श्रीमती नेत्रवती देवी बनाम श्रीमती उर्मिला देवी
दिनांकः 16.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 38/17
पूरन लाल बनाम भगवान अग्रवाल
दिनांकः 16.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 283/83
तुफैल अहमद बनाम लियाकत खॉ आदि
दिनांकः 18.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 286/2016
शरद माहेश्वरी बनाम हेमन्द कुमार आदि
दिनांकः 14.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 70/2009
एस0बी0आई0 बनाम रामसरन
दिनांकः 12.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 389/2016
फिरोज खां बनाम अजमत खां
दिनांकः 12.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 345/2008
शिवसरन बनाम आयशा बी
दिनांकः 12.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 392/2014
राजीव खण्डेलवाल बनाम बी0डी0ए0
दिनांकः 12.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 34/2017
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम लियाकत खां
दिनांकः 06.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 130/2018
एयर प्लाजा बनाम हरिराम श्रीवास्तव
दिनांकः 02.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 129/2018
एयर प्लाजा बनाम हरिराम
दिनांकः 02.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 156/2018
करूणेश कुमार बनाम सोहन लाल आदि
दिनांकः 02.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 171/14
श्रीमती जन्नती बेगम बनाम फिदा हुसैन आदि
दिनांकः 02.03.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादिनी अनुपस्थित।

वादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादिनी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0 36/2017

मूलवाद सं0 118/15

शिव शंकर रस्तोगी बनाम नगर पिलक परिषद

दिनांकः 23.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

इजरायवाद सं0 04/2018

युधिष्ठर बनाम प्यारे लाल

दिनांकः 23.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 585/2006

एस0बी0आई0 बनाम राम नरायन आदि

दिनांकः 23.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),

कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 227/2007

सुधीर रायजादा बनाम श्रीमती रचना

दिनांकः 20.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 1116/2014

सुनील सिंह बनाम पप्पू

दिनांकः 18.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 532/2016

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम कलीम माजिद अंसारी

दिनांकः 18.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 1063/2012

श्रीमती मंजीत कौर बनाम श्रीमती गुरूदीप सिंह आदि

दिनांकः 18.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर प्रतिवादी उपस्थित। वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 810/2009

राज राजेश्वर सहाय बनाम प्रदीप भुडावल आदि

दिनांकः 18.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर प्रतिवादी उपस्थित। वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0 05/2018

अनीस मियां बनाम इदरीश

दिनांकः 16.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित। आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे आवेदक अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं 926/2011

मोईनुल हसनैन बनाम नरगिस खातून आदि

दिनांकः 16.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवे वादी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0 58/2018

संगीता बनाम द्वारिका

दिनांकः 16.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदिका अनुपस्थित।

आवेदिका की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं0 60/2014

अमित कुमार भारद्वाज बनाम शिव कुमार आदि

दिनांकः 16.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

इजरायवाद सं0 03/2016

परमेश्वरी दास बनाम सावित्री आदि

दिनांकः 16.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 04/2016

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम मो0 सिराज अनवर

दिनांकः 13.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद 94/2017

शाहनवाज हुसैन बनाम श्रीमती मीना खातून आदि

दिनांकः 08.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक व विपक्षीगण अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक दी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद 09/2016

सुधीर नरायन मेहरोत्रा बनाम श्रीमती उषा देवी यादव आदि

दिनांकः 08.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक व विपक्षीगण अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक दी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद 157/2017

रमेश बनाम ओम प्रकाश

दिनांकः 08.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक व विपक्षीगण अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक दी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 937/2011

विरेन्द्र स्वरूप बनाम अलिखेश कुमार

दिनांकः 08.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद 34/2018

वीरपाल बनाम रामचन्द्र

दिनांकः 05.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक व विपक्षी अनुपस्थित।

आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो आवेदक उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक दी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

प्रकीर्ण वाद 25/2013

कु0 शालिनी कन्सल बनाम हरिओम आदि

दिनांकः 04.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदिका अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित।

आवेदिका की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो वादी उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका दी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 123/2014

डालचन्द्र बनाम चन्द्रकली

दिनांकः 01.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 123/2014

डालचन्द्र बनाम चन्द्रकली

दिनांकः 28.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 679/2009

चेतराम बनाम श्रीमती शशी आदि

दिनांकः 18.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 91/2015

नरगिस बेगम बनाम खुर्शीद हुसैन

दिनांकः 17.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 347/2012

अनेक पाल सिंह बनाम कल्लू आदि

लंच बाद।

दिनांकः 17.01.2019

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 347/2012

अनेक पाल सिंह बनाम कल्लू आदि

दिनांकः 11.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 615/2012

श्रीमती संगीता बनाम वाजिद अली

दिनांकः 11.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 137/2008

हरिओम बनाम दाउदयाल आदि

दिनांकः 10.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 442/2016

गोपाल चन्द्र अग्रवाल बनाम बरेली विकास प्राधिकरण आदि

दिनांकः 10.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 660/2007

एस0बी0आई0 बनाम प्रियंका

दिनांकः 10.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 583/2016

श्रीमती रामवेटी बनाम इसरार मोहम्मद आदि

दिनांकः 09.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 318/2016

रामेश्वर आदि बनाम श्रीमती मंजू देवी आदि

दिनांकः 09.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 240/2017

आई0सी0आई0सी0आई0 बनाम नन्हे लाल आदि

दिनांकः 09.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 384/2017

शिव शंकर बनाम राधा देवी

दिनांकः 08.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 380/2015

प्रकीण वाद सं0 04/2017

सुरेन्द्र कुमार बनाम सतेन्द्र कुमार आदि

दिनांकः 08.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 114/2017

सुहेल परवेज बनाम साजदा बी कुरैशी

दिनांकः 07.01.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 38/2018

सुनील कुमार कश्यप बनाम श्रीमती लीलावती आदि

दिनांकः 07.12.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 770/2009

विजय नारायन खन्ना बनाम डॉ0 बी0 कुमार आदि

दिनांकः 29.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 271/2012

रामकिशोर बनाम जसवीर बाबा आदि

दिनांकः 29.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 722/2012

पूनम सेन बनाम हरिओम आदि

दिनांकः 29.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर को उपस्थित नहीं। वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। सयम 4 बज रहे हैं। अत तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योगय है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 07/2017

रघुनन्दन सिंह उर्फ पप्पू सिंह बनाम पिन्टू सिंह आदि

दिनांकः 29.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर को उपस्थित नहीं। कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। समय 4 बजे रहे हैं। अत तक न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है।

आवेदक की अनुपस्थिति में प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 638/2016

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम हरीशचन्द्र अग्रवाल आदि

दिनांकः 29.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

उभयपक्ष की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 153/2014

फरियाद बनाम बिट्टन

दिनांकः 28.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 35/2015

मूलवाद सं0 39/2013

प्यारे लाल बनाम सियाराम

<u>दिनांकः 28.11.2018</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र नहीं किया गया है। वादी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 40/2016

मूलवाद सं0 207/2012

करन कुमार बनाम संजू आदि

दिनांकः 27.11.2018

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 24.09.2018 का अनुपालन नहीं किया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 638/2016

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम हरीशचन्द्र अग्रवाल आदि

दिनांकः 27.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

उभयपक्ष की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 351/2006

शकील अनवर बनाम नत्थू लाल आदि

दिनांकः 26.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

उभयपक्ष की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

दिनांकः 21.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभ्यपक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
इजरायवाद सं0 04/2015

पूरन लाल बनाम लीलावती

दिनांकः 20.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः डिक्रीदार की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

डिक्रीदार की अनुपस्थिति में इजराय वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0 850/2012

श्रीमती नैयाव बानो बनाम शाहिद खलील

दिनांकः 19.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः आवेदक की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

आवेदक की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 55/2018

यू0पी0 फाईनेशियल कारपोरेशन बनाम विजय गुलाटी

दिनांकः 19.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः आवेदक की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकीर्ण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 29/2016

मूलवा सं 155/06

यू0पी0 फाईनेशियल कारपोरेशन बनाम विजय गुलाटी

दिनांकः 19.11.2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद संचालित करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः आवेदक की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकीर्ण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 584/2016

शकील अहमद बनाम अबरार हुसैन आदि

<u>दिनांकः 17.11.2018</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।
वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। वादी

की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

मूलवाद सं0 584/2016

शकील अहमद बनाम अबरार हुसैन आदि

<u>दिनांकः 17.11.2018</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। वादी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
प्रकीर्ण वाद सं0 129/2017

मुरली मनोहर गुप्ता बनाम शोभा राम कनौजिया

<u>दिनांकः 17.11.2018</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। वादी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–2, बरेली।
मूलवाद सं0– 581/2003

दिनेश सिंह आदि बनाम राम बाबू अग्रवाल आदि

<u>दिनांकः 02.11.2018</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

प्रतिवादी रूपा देवी की ओर से प्रार्थना पत्र 155ग मय शपथ पत्र 156ग प्रस्तुत कर कहा है कि वह प्रतिवादी सं0 6 है। प्रस्तुत वाद के संबंध में प्रतिवादी को कोई नोटिस सम्मन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने बविता अग्रवाल व उषा अग्रवाल से बतौर बैनामा भूमि क्रय की है। वादीगण ने परेशान के उद्देश्य से दावा दायर किया है। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.09.2014 निरस्त किये जाने की याचना की है।

वादी की ओर से आपत्ति 160ग मय शपथ पत्र 161ग प्रस्तुत कर कहा है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 155ग समय सीमा से बाधित है। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा शपथ पत्र पूर्णतया गलत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने सम्मन की तामीला से इन्कार किया है। जबकि नोटिस व सम्मन प्रतिवादी सं0 6 पर तामील थे। प्रतिवादी का यह कथन की प्रतिवादी सं0 9 से प्रतिवादी सं0 6 ने सम्पत्ति को जरिये विक्रय विलेख प्राप्त किया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 6 के स्वत्व अधिकार से इन्कार किया है। जबकि प्रतिवादी सं0 6 ने कहा है कि बविता व उषा अग्रवाल से सम्पत्ति क्रया किया है। प्रातिवादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी का यह कथन की उसने बविता व उषा अग्रवाल से सम्पत्ति खरीदी है, गलत है तथा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख धोखाधड़ी से किया गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर बविता व उषा का ही कब्जा दखल था। उक्त कथन करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना किया है।

सुना तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुन लिया गया है।

विदित है कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 10.09.2014 को प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता‍ै कि दिनांक 01.07.2014 का प्रतिवादी सं0 6 पर सम्मन का तामीला पर्याप्त माना गया है। प्रतिवादी सं0 6 का यह कथन कि उसको प्रतिवादी सं0 9 ने घर जाकर मुकदमे के बारे में बताया था। प्रतिवादी का उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का दर्शित कारण पर्याप्त नहीं है। फिर भी न्यायहित में वाद के पूर्ण एवं प्रभावकारी न्याय निर्णयन तथा वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रार्थनापत्र 155गग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 155ग मु0 1500/– रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं0 6 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अतिरिक्त कथन/वाद बिन्दु दिनांक 16.11.2018 हेतु पेश हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष सं0–2, बरेली।